बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, , बेबसाईट : http://bsea.bihar.gov.in, बेबसाईट : bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 19/03/2025

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ नि० 1-17/2024 ..880..... प्राधिकार की **अधिसूचना संख्या-1871 दिनांक 18.10.2024 द्वारा वैशाली जिला के सहदेई बुजुर्ग प्रखंड अन्तर्गत सुल्तानपुर पैक्स एवं औरंगाबाद जिला के औरंगाबाद प्रखंड अन्तर्गत पोईवां पैक्स के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था।** उक्त दोनों पैक्सों का निर्वाचन कार्यक्रम विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा स्थगित किया गया था। बाद में अधिसूचना संख्या- 298 दिनांक 27.01.2025 द्वारा पोईवां पैक्स, प्रखंड-औरंगाबाद, जिला- औरंगाबाद के अध्यक्ष पद का निर्वाचन संपन्न हो चुका है।

2. अत: उक्त आलोक में **वैशाली जिला के सहदेई बुजुर्ग प्रखंड अन्तर्गत सुल्तानपुर पैक्स एवं औरंगाबाद जिला के औरंगाबाद प्रखंड अन्तर्गत पोईवां पैक्स (अध्यक्ष पद को छोड़कर)** के निर्वाचन कार्यक्रम को अधिसूचना संख्या-1871 दिनांक 18.10.2024 के क्रम में नामांकन के स्तर से निम्नवत निर्धारित किया जाता है :-

(i)	निर्वाचन कार्यक्रम से संबंधित सूचना का प्रकाशन	21.03.2025 (शुक्रवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	26.03.2025 (बुधवार) एवं 27.03.2025 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	28.03.2025 (शुक्रवार) एवं 29.03.2025 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	02.04.2025 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	09.04.2025 (बुधवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	09.04.2025 (बुधवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	11.04.2025 (शुक्रवार)

3. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में **वैशाली जिला के सहदेई बुजुर्ग प्रखंड अन्तर्गत सुल्तानपुर पैक्स एवं औरंगाबाद जिला के औरंगाबाद प्रखंड अन्तर्गत पोईवां पैक्स** के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार, यथा- माइकिंग, ढोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर इश्तेहार आदि चिपकाकर किया जाएगा। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे एवं इसका अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 24.03.2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. **मतदान केन्द्र पैक्स गोदाम/ कार्यालय से अलग किसी सरकारी भवन में स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 2232 दिनांक 12.12.2024 में दिये निर्देश का अनुपालन किया जाएगा।**

5. **जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व के कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल किया जा चुका है, उन्हें पुनः नामांकन पत्र दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। नये अभ्यर्थी नामांकन पत्र दायर कर सकते हैं।**

6. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में मतदान का समय पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार 7:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् प्रपत्र– ई॰18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एंव मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायेंगे। इसके लिए अधिसूचना संख्या– 1871 दिनांक 18.10.2024 के परिशिष्ट–1 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

7. **बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 11.04.2025 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 134-142 पर देखा जा सकता है।**

8. अधिसूचना संख्या– 1871 दिनांक 18.10.2024 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

ह०/–

(गिरीश शंकर)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 880 पटना/ दिनांक 19/03/2025

प्रतिलिपि : ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

परामर्शी। 19/3/25

ज्ञापांक : 880 पटना/ दिनांक 19/03/2025

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित उप विकास आयुक्त –सह– नोडल पदाधिकारी (स॰स॰)/ संबंधित वरीय अपर समाहर्त्ता/ संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

परामर्शी। 19/3/25

ज्ञापांक : 880 पटना/ दिनांक 19/03/2025

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ महानिदेशक, होम गार्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि–व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

परामर्शी। 19/3/25

ज्ञापांक : 880 पटना/ दिनांक 19/03/2025

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/25

परामर्शी।

ज्ञापांक : 880 पटना/ दिनांक 19/03/2025

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा-2 (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. श्री वेद प्रकाश, आईटी प्रोफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा वेबसाईट पर की जानेवाली विभिन्न प्रविष्टियों को ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।

19/3/25

परामर्शी।